जनपद - संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनाँक 22.04.2024

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना धनघटा पुलिस द्वारा*** वारण्टी नाम पता राजेश पुत्र झिनकू निवासी हरिवंशपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री रजनीश राय, हे0 का0 सोनू पटेल।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार

- ***थाना दुधारा पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- ***थाना महुली पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- ***थाना बखिरा पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 97 वाहनों से 141,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 22.04.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 97 वाहनों से 141,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3316 द्वारा एक व्यक्ति के जहर खाने के संबन्ध में प्राप्त सूचना पर सम्बन्धित को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 3316 को थाना बेलहरकला क्षेत्रांतर्गत कुसहरा से इवेन्ट संख्या 3316 से कालर द्वारा एक व्यक्ति जहर खा लिया है (ओमप्रकाश मिश्रा पुत्र बिलाश मिश्रा ग्राम कुसहरा थाना बेलहर कला जनपद संतकबीरनगर) के संबन्ध में सूचना दिया,सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को एंबुलेंश 108 की सहायता से अस्पताल भेजवाया गया साथ ही घटना के सम्बन्ध में थाना बेलहरकला को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

***पीआरवी स्टाफ-* आ0 अतुल कुमार, हो0चा0 दुर्गा प्रसाद।**

जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 22.04.2024

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए जानलेवा हमला करने के मामले में अभियुक्तगणों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री ब्रजेश सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में *थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस* द्वारा मु0अ0सं0 332 / 2024 धारा 147 / 323 / 307 भादवि के मामले में अभियुक्तगण नाम पता 1.सुभाष यादव पुत्र रामकेवल यादव 2.गजेन्द्र यादव पुत्र रामानन्द यादव 3.सुरेन्द्र यादव पुत्र स्व0 लालमन यादव 4.दुर्ग विजय यादव पुत्र जगदीश यादव निवासीगण मोहम्दपुर कठार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को राजेश्वरी देवी इंडियन आयल पेट्रोल पम्प के पास से गिरफ्तार किया गया व 4.दुर्ग विजय यादव पुत्र जगदीश यादव निवासी मोहम्दपुर कठार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को वादी मुकदमा के द्वारा गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर सुपुर्दगी में दिया गया जिसको पुलिस हिरासत में लिया गया तथा उपरोक्त अभियुक्तगणों को माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण का नाम पत्ता-

1.सुभाष यादव पुत्र रामकेवल यादव

2.गजेन्द्र यादव पुत्र रामानन्द यादव

3.सुरेन्द्र यादव पुत्र स्व0 लालमन यादव

4.दुर्ग विजय यादव पुत्र जगदीश यादव उपरोक्त निवासीगण मोहम्दपुर कठार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर

संक्षिप्त विवरणः- विदित हो कि वादी श्री विनोद कुमार यादव पुत्र श्री श्रीराम यादव निवासी उड़री कटरा थाना अखण्डनगर जनपद सुल्तानपुर PSO मा0 मन्त्री जी (डा0 संजय कुमार निषाद पुत्र विजय निषाद निवासी संगम चौराहा थाना पादरी बाजार मंत्री मत्स्य विभाग उ0प्र0) की तहरीरी सूचना पर दिनांक 22.04.2024 को थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर पर मु0अ0सं0 332/2024 धारा 147/323/307 भादवि पंजीकृत किया गया था, 21/22.04.2024 की रात को मा0 मन्त्री जी (डा0 संजय कुमार निषाद मंत्री मत्स्य विभाग उ0प्र0) द्वारा ग्राम सभा मोहम्मदपुर कठार में एक शादी समारोह में शिरकत के दौरान उक्त अभियुक्तगणों व उनके साथियो द्वारा अचानक मा0 मंत्री जी पर जानलेवा हमला किया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- नि0 अपराध श्री रामेश्वर यादव,उ0नि0 पवन कुमार,हे0 का0 अशोक सिंह,हे0 का0 मिथिलेश मिश्रा,का0 अरविन्द तिवारी, का0 पंकज विश्वकर्मा,का0 आलोक पाल, का0 गिरिजेश मद्देशिया ।

जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 22.04.2024

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले मे वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद में *मिशन शक्ति अभियान* के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री ब्रजेश सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा*** मु0अ0स0 252/2024 धारा 363/366/376/504 भा0द0वि0 व 5/6 पाक्सो एक्ट के मामले मे वांछित अभियुक्त वकील कुमार उर्फ अनिल रजा पुत्र अशोक कुमार निवासी उतरावल थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीर नगर को जंगल मोड़ के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 28.03.2024 को वादिनी की नाबालिक पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था व दुष्कर्म की घटना कारित की गयी थी, जिसके संबंध में वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर आज दिनांक 22.04.2024 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री सुर्यभान यादव, का0 राधवेन्द्र प्रताप सिंह, का0 कमलेश यादव।